राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 931/2016/हनुमानगढ़

मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स,
नोहर, हनुमानगढ़ .....अपीलार्थी
बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, वृत्त–ए, हनुमानगढ़ .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.गुप्ता
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.03.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **''अपीलीय प्राधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 120/आरवैट/हनुमानगढ़/2015–16 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 29.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत्त–ए, हनुमानगढ (जिसे आगे **''सक्षम अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 16(4) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 02.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने को विवादित किया गया है। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश अविधिक रूप से पारित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का पंजीयन प्रमाण पत्र बिना किसी उचित व ठोस सबूत/आधार के निरस्त कर दिया जो कि उचित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तथ्यों की जांच किये बिना तथा परिस्थिति की जानकारी लिये बिना तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर सही ढंग से विचार किये बिना ही पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जो कि कानून के विपरीत है। अपीलार्थी द्वारा अपना व्यवसाय दिनांक 31.03.2014 से बंद कर दिया था जिसकी सूचना कर निर्धारण अधिकारी को दी गयी थी लेकिन फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने 01.02.2013 से व्यापार बंद होना मानते हुए पंजीयन को निरस्त कर दिया जो कि उचित नहीं है। उक्त तथ्यों, आधारों पर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस करते हुए निवेदन किया कि व्यवसायी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर

लगातार.....2

प्रदान नहीं किया गया है इसलिये उनकी फर्म का निरस्त किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र पुनः बहाल किया जाये।

3. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने बताया की कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 02.06.2014 में सभी तथ्यों का वर्णन किया गया। व्यवसायी को धारा 16(4) के तहत् पंजीयन निरस्त करने बाबत् दिनांक 08.01.2014 का नोटिस जारी किया गया है उसके उपरांत व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 20.01.2014, 29.01.2014 व 17.02.2014 का स्थगन प्राप्त किया। इसके बाद व्यवसायी आगामी पेशी दिनांक 10.03.2014 को उपस्थित नहीं हुआ। अन्त में दिनांक 07.05.2014 को दिनांक 14.05.2014 के लिये अन्तिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किया गया है। जिसमें पूर्व में दी गयी समस्त पेशीयों का उल्लेख किया गया है और स्पष्ट लिखा गया है कि क्यों नहीं धारा 16(4) के तहत दिनांक 01.02.2013 से पंजीयन निरस्त कर दिया जावे। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि व्यवसायी को पंजीयन निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने दिनांक 21.05.2014 को जवाब भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापार दिनांक 31.03.2014 से बंद होना बताया है परन्तु व्यवसाय स्थल की जांच में कोई व्यापार होना ही प्रमाणित नहीं हुआ है अतः दिनांक 31.03.2014 से व्यापार बन्द करने का निवेदन सारहीन है। पत्रावली पर उपलब्ध व्यवसायी के व्यवसाय स्थल की कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 21.12.2013 से स्पष्ट होता है कि व्यवसायी ने पंजीयन प्रमाण पत्र में जो व्यवसाय स्थल श्री खान मोहम्मद के वार्ड नं. 3 बांदीपुरा मोहल्ला, स्थित आवासीय घर दर्शाया गया है उस पर कोई भी व्यापार संचालित होना नहीं पाया गया है अतः कर निर्धारण अधिकारी ने जांच करने के पश्चात् धारा 16(4) के तहत् नोटिस दे कर पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किया है। धारा 16(4)(डी) के अनुसार यदि व्यवसायी ने गलत तथ्य एवं मिथ्या घोषणा करके कोई पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो उसे संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर सकता है। इस प्रकरण में भी कर निर्धारण अधिकारी ने जांच करने के पश्चात् सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किया है। कर निर्धारण अधिकारी का स्वतंत्र मुख्यालय नोहर में है जो पंजीयन प्रमाण पत्र भी जारी करता है तथा इन्हें निरस्त भी करता है अतः कर निर्धारण अधिकारी पंजीयन निरस्त करने हेतु सक्षम अधिकारी है। यहां माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय (1965) 16 एसटीसी 271 (ओडिशा) का श्री नोरंगलाल अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ ओड़िसा में भी यह अभिनिर्धारित किया है जिसका सुसंगत अशं निम्न प्रकार हैः–

"Here it has been found as a fact that persons who had no business at all succeeded in obtaining certificates of registration from sales tax authorities either due to the negligence or with the connivance of sales tax authorities and hence the grant of certificates of RC to them

लगातार.....3

should be held to have been made by mistake, the sales tax authorities had no jurisdiction to grant such RC to fictitious persons or to persons who had no business hence though these persons may techinically be said to be holder of RC nevertheless in the eye of law they cannot be held to be registered dealers because they have not been validly registered under the provisions of Act and any mistake committed by the subordinate officers of the sales tax department either due to negligence or due to collusion cannot on general principles, operate as estoppels against government."

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यवसायी का धारा 16(4) के तहत् पंजीयन विधिक रूप से निरस्त किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाता है।

4. फलतः अपील अस्वीकार की जाती है।

मदन लाल मालवीय
(सदस्य)